

अनुदान संख्या 96 - चंडीगढ़
GRANT No. 96 - CHANDIGARH

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित -	Charged-			
मूल	Original	71,26,00		
		84,58,00	84,51,65	-6,35
पूरक	Supplementary	13,32,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	1729,69,00		
		2139,98,00	2137,25,74	-2,72,26
पूरक	Supplementary	410,29,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित -	Charged-	5,00	5,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	515,91,00		
		515,92,00	508,60,11	-7,31,89
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7,32,00

टीका और टिप्पणियां

- अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹22.00 लाख का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।
- अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

- In the charged portion of the revenue section of the grant, appropriation of ₹22.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.
- In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क-गृह मंत्रालय	A- Ministry of Home Affairs				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	2219.00			
पू.	S.	433.00	2482.05	2467.51	- 14.54
पु.	R.	-169.95			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	200.00			
			17.52	17.52	..
पु.	R.	-182.48			
मुख्य शीर्ष "2054"	Major Head "2054"				
खजाना और लेखा प्रशासन	Treasury and Accounts Administration				
मू.	O.	185.00			
पू.	S.	13.00	175.09	174.87	-0.22
पु.	R.	-22.91			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	1313.00			
पू.	S.	141.00	1470.27	1466.24	-4.03
पु.	R.	16.27			
ख-कृषि मंत्रालय	B-Ministry of Agriculture				
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"				
पशु पालन	Animal Husbandry				
मू.	O.	224.00			
पू.	S.	12.00	237.15	237.10	-0.05
पु.	R.	1.15			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
घ-विद्युत मंत्रालय	D-Ministry of Power			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
बिजली	Power			
मू.	O.	46861.00		
पू.	S.	9285.00	56582.71	56580.39
पु.	R.	436.71		-2.32
ड-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	E-Ministry of New and Renewable Energy			
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy			
मू.	O.	523.00		
			119.86	119.84
पु.	R.	-403.14		-0.02
च-पर्यावरण और वन मंत्रालय	F-Ministry of Environment and Forests			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"			
वानिकी तथा वन्य प्राणी	Forestry and Wildlife			
मू.	O.	626.00		
पू.	S.	112.00	863.45	863.44
पु.	R.	125.45		-0.01
ज-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	H-Ministry of Food Processing Industries			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	140.00		
पू.	S.	44.00	140.00	140.00
पु.	R.	-44.00		..

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
झ-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	I- Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution			
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies			
मू.	O.	320.00		
पू.	S.	53.00	367.57	366.86
पु.	R.	- 5.43		-0.71
ज-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	J- Ministry of Health and Family Welfare			
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health			
मू.	O.	12865.00		
पू.	S.	3488.00	16695.60	16693.95
पु.	R.	342.60		-1.65
ट-विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	K-Department of School Education and Literacy			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education			
मू.	O.	10759.00		
पू.	S.	1385.00	12013.75	12006.40
पु.	R.	-130.25		-7.35
ठ-उच्चतर शिक्षा विभाग	L-Department of Higher Education			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education			
मू.	O.	18261.00		
पू.	S.	14400.00	33573.48	33563.97
पु.	R.	912.48		- 9.51

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"			
तकनीकी शिक्षा	Technical Education			
मू.	O.	3188.00		
पू.	S.	450.00	3579.78	3579.55
पु.	R.	-58.22		-0.23
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	N-Ministry of Youth Affairs and Sports			
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"			
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Sports and Youth Services			
मू.	O.	1391.00		
पू.	S.	83.00	1311.66	1207.47
पु.	R.	-162.34		-104.19
ण-संस्कृति मंत्रालय	O-Ministry of Culture			
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"			
कला एवं संस्कृति	Arts and Culture			
मू.	O.	957.00		
पू.	S.	567.00	1398.99	1383.12
पु.	R.	-125.01		-15.87
द-श्रम और रोजगार मंत्रालय	R-Ministry of Labour and Employment			
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"			
श्रम तथा रोजगार	Labour and Employment			
मू.	O.	688.00		
पू.	S.	67.00	735.40	735.56
पु.	R.	-19.60		+ 0.16

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
ध-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	S- Ministry of Road Transport and Highways			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"			
सड़क परिवहन	Road Transport			
मू.	O.	12010.00		
पू.	S.	341.00	12611.31	12611.24
पु.	R.	260.31		-0.07
प-शहरी विकास मंत्रालय	U-Ministry of Urban Development			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"			
लोक निर्माण कार्य	Public Works			
मू.	O.	10824.00		
पू.	S.	389.00	11111.55	11097.02
पु.	R.	-101.45		-14.53
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"			
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	3125.00		
पू.	S.	255.00	3471.73	3470.29
पु.	R.	91.73		-1.44
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"			
शहरी विकास	Urban Development			
मू.	O.	20736.00		
पू.	S.	5685.00	25941.30	25940.73
पु.	R.	-479.70		-0.57

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	
		(लाख रुपयों में)
		(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
भ-संचार और सूचना	X-Ministry of Communications and			
प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Information Technology			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services			
मू.	O.	900.00		
			559.79	559.77
				-0.02
पु.	R.	-340.21		

(I) ₹11.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹11.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2011 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in March, 2011 under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2054" - "स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-स्थापना" - ₹112.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹13.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़कर ₹125.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹23.10 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) Major Head "2054" - "Local Fund Audit - Establishment" - the original provision of ₹112.00 lakhs was augmented to ₹125.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹13.00 lakhs. However, there was a saving of ₹23.10 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of medical claims.

(खा) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य संसाधन - खाद्य कला संस्थान" - ₹140.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹44.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹184.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹44.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशासनिक कारणों से प्रयोगशालाओं और प्रेक्षागृह के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2408" - "Food - Food Processing - Food Crafts Institute" - the original provision of ₹140.00 lakhs was augmented to ₹184.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹44.00 lakhs. However, there was a saving of ₹44.00 lakhs (including supplementary grant) – due to non-finalisation of proposal for modernisation of labs and auditorium owing to administrative reasons.

(गा) मुख्य शीर्ष "3456" - "अन्य व्यय - उपभोक्ता संरक्षण संगठन" - ₹178.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹42.00

(C) Major Head "3456" - "Other Expenditure - Consumer Protection Organisation" - the original

लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹220.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹51.51 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(घ) मुख्य शीर्ष “2210” - “लोक स्वास्थ्य - रोगों का निवारण तथा नियंत्रण - अन्य स्कीमों” - ₹52.18 लाख के मूल प्रावधान को ₹10.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹62.18 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹26.98 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(ङ) मुख्य शीर्ष “2204” -

(क) “शारीरिक शिक्षा - खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र” - ₹903.04 लाख के मूल प्रावधान को ₹27.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹930.04 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹188.87 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशासनिक कारणों से सामग्री की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय कैडेट कोर” - ₹313.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹28.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹341.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹48.34 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(चा) मुख्य शीर्ष “2230” - “श्रम - सामान्य श्रम कल्याण-श्रम कल्याण संगठन” - ₹66.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹73.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹8.76 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा दावों के कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

provision of ₹178.00 lakhs was augmented to ₹220.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹42.00 lakhs. However, there was a saving of ₹51.51 lakhs (including supplementary grant); and

(D) Major Head “2210” - “Public Health - Prevention and Control of Diseases - Other Schemes” - the original provision of ₹52.18 lakhs was augmented to ₹62.18 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10.00 lakhs. However, there was a saving of ₹26.98 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(E) Major Head “2204” -

(a) “Physical Education - Sports Coaching Centre” - the original provision of ₹903.04 lakhs was augmented to ₹930.04 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹27.00 lakhs. However, there was a saving of ₹188.87 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposal for purchase of material owing to administrative reasons.

(b) “Youth Welfare Programmes for Students-National Cadet Corps” - the original provision of ₹313.00 lakhs was augmented to ₹341.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹28.00 lakhs. However, there was a saving of ₹48.34 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and less number of beneficiaries.

(F) Major Head “2230” - “Labour - General Labour Welfare - Labour Welfare Organisation” - the original provision of ₹66.00 lakhs was augmented to ₹73.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7.00 lakhs. However, there was a saving of ₹8.76 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less bills towards medical claims.

(छा) मुख्य शीर्ष “2059” - “सामान्य - रख-रखाव तथा मरम्मत - भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव” - ₹2864.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹68.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2932.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹311.81 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रखरखाव का कार्य कम होने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2014” - “विधि सलाहकार और परामर्शदाता - चंडीगढ़ विधि प्रकोष्ठ” - ₹250.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹66.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹316.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण ₹17.36 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “2070” - “अतिथि गृह, सरकारी छात्रावास, आदि - संघ राज्य क्षेत्र अतिथि गृह” - ₹422.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹126.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹548.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, सामग्री की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹110.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष “2403” - “पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु चिकित्सा सेवाएं” - ₹163.66 लाख के मूल प्रावधान को ₹10.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹173.66 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने के कारण ₹5.61 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष “2406” - “वानिकी - निदेशन और प्रशासन - मुख्य वन संरक्षक” - ₹158.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹170.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण ₹9.56 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(G) Major Head “2059” - “General - Maintenance and Repairs - Repairs and Maintenance of Buildings” - the original provision of ₹2864.00 lakhs was augmented to ₹2932.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹68.00 lakhs. However, there was a saving of ₹311.81 lakhs (including supplementary grant) - due to decrease in maintenance work.

(III) Supplementary grant obtained in November, 2010 and March, 2011 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2014” - “Legal Advisors and Counsels - Chandigarh Legal Cell” - the original provision of ₹250.00 lakhs was augmented to ₹316.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹66.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹17.36 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(B) Major Head “2070” - “Guest Houses, Government Hostels, etc. - Union Territory Guest House” - the original provision of ₹422.00 lakhs was augmented to ₹548.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹126.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹110.63 lakhs - due to non-finalisation of proposal for purchase of material.

(C) Major Head “2403” - “Veterinary Services and Animal Health - Veterinary Services” - the original provision of ₹163.66 lakhs was augmented to ₹173.66 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹5.61 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical bills.

(D) Major Head “2406” - “Forestry - Direction and Administration - Chief Conservator of Forests” - the original provision of ₹158.00 lakhs was augmented to ₹170.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹9.56 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(ड) मुख्य शीर्ष “2210” - “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज” ₹7578.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2653.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10231.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने के कारण ₹567.78 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(चा) मुख्य शीर्ष “2202” -

(क) “माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - व्यावसायिक पाठ्यक्रम” - ₹272.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹50.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹322.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने के कारण ₹6.30 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) “विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़” - ₹3500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11500.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वास्तविक भाग नियत किए जाने के कारण ₹213.08 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(छा) मुख्य शीर्ष “2204” - “शारीरिक शिक्षा - योग शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र” - ₹75.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹28.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹103.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण ₹21.02 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(जा) मुख्य शीर्ष “2205” -

(क) “कला एवं संस्कृति का संवर्धन - अन्य स्कीमें” - ₹100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹230.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹330.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, सांस्कृतिक पर्वो/उत्सवों को

(E) Major Head “2210” – “Medical Education, Training and Research – Allopathy – Government Medical College” - the original provision of ₹7578.00 lakhs was augmented to ₹10231.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2653.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹567.78 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical bills.

(F) Major Head “2202” –

(a) “Secondary Education – Other Expenditure– Vocational Courses” - the original provision of ₹272.00 lakhs was augmented to ₹322.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹6.30 lakhs – due to receipt of less medical bills.

(b) “University and Higher Education – Assistance to Universities – Punjab University, Chandigarh” - the original provision of ₹3500.00 lakhs was augmented to ₹11500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹213.08 lakhs – due to actual share fixed by the Ministry of Human Resource Development.

(G) Major Head “2204”-“Physical Education – Yoga Physical Training Centre” - the original provision of ₹75.00 lakhs was augmented to ₹103.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹28.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹21.02 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(H) Major Head “2205” –

(a) “Promotion of Arts and Culture – Other Schemes” - the original provision of ₹100.00 lakhs was augmented to ₹330.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹230.00 lakhs which, however, remained

न मनाए जाने के कारण ₹95.27 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

unutilised to the extent of ₹95.27 lakhs – due to non-celebration of cultural events/affairs.

(ख) “अन्य व्यय” -

(b) “Other Expenditure” -

(i) “टी.एस. केंद्रीय राज्य पुस्तकालय, चंडीगढ़” - ₹270.46 लाख के मूल प्रावधान को ₹197.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹467.46 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण ₹23.09 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(i) “T.S. Central State Library, Chandigarh” - the original provision of ₹270.46 lakhs was augmented to ₹467.46 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹197.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹23.09 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(ii) “चित्र एवं कला दीर्घा” - ₹269.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹75.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹344.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, चिकित्सा और दौरे के दावों के कम बिल प्राप्त होने के कारण ₹16.67 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) “Picture and Art Gallery” - the original provision of ₹269.00 lakhs was augmented to ₹344.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹75.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹16.67 lakhs – due to receipt of less bills towards medical and tour claims.

(झ) मुख्य शीर्ष “2059” - “सामान्य - निदेशन और प्रशासन” -

(I) Major Head “2059” – “General – Direction and Administration” –

(क) “कार्यकारी स्थापना” - ₹1895.40 लाख के मूल प्रावधान को ₹230.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2125.40 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹44.92 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(a) “Executive Establishment” - the original provision of ₹1895.40 lakhs was augmented to ₹2125.40 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹230.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹44.92 lakhs;

(ख) “मुख्य वास्तुविद की स्थापना” - ₹362.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹61.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹423.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹36.14 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(b) “Chief Architect’s Establishment” - the original provision of ₹362.00 lakhs was augmented to ₹423.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹61.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹36.14 lakhs;

(ञ) मुख्य शीर्ष “2215” - “जल पूर्ति” -

(J) Major Head “2215” – “Water Supply” –

(क) “निदेशन और प्रशासन” -

(a) “Direction and Administration” -

(i) “कार्यकारी स्थापना” - ₹674.63 लाख के मूल प्रावधान को ₹84.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹758.63 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹16.98 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ii) “कार्य प्रभारित स्थापना” - ₹1146.97 लाख के मूल प्रावधान को ₹58.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1204.97 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹54.67 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

(ख) “शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - अन्य स्कीमें” - ₹246.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹32.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹278.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, कम अनुसंधान कार्य के कारण ₹14.51 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ट) मुख्य शीर्ष “2217” - “सामान्य - स्थानीय निकायों, निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगरी सुधार बोर्ड आदि को सहायता - नगर निगम, चंडीगढ़” - ₹19670.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5620.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹25290.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, प्रशासनिक कारणों की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण ₹500.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2014” - “उच्च न्यायालय - स्थापना” के अंतर्गत ₹141.34 लाख की बचत (₹1190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पद न भरे जाने के कारण हुईं।

(i) “Executive Establishment” – the original provision of ₹ 674.63 lakhs was augmented to ₹758.63 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹84.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹16.98 lakhs; and

(ii) “Work Charged Establishment” - the original provision of ₹1146.97 lakhs was augmented to ₹1204.97 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹58.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹54.67 lakhs.

Savings under the above four heads were due to non-filling up of vacant posts.

(b) “Urban Water Supply Programme – Other Schemes” – the original provision of ₹246.00 lakhs was augmented to ₹278.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹32.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹14.51 lakhs – due to less maintenance work.

(K) Major Head “2217” – “General – Assistance to Local Bodies, Corporation, Urban Development Authorities, Town, Improvement Board etc. – Municipal Corporation, Chandigarh” – the original provision of ₹19670.00 lakhs was augmented to ₹25290.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5620.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹500.00 lakhs – due to non-release of funds owing to administrative reasons.

(IV) Under Major Head “2014” – “High Courts– Establishment” – saving of ₹141.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1190.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of Judges of High Court.

(V) मुख्य शीर्ष “2015” - “अन्य व्यय - नगरपालिकाओं के चुनाव” के अंतर्गत ₹182.48 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगम, चंडीगढ़ के चुनाव न कराए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2810” - “ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - निदर्शन और प्रौद्योगिकी” के अंतर्गत ₹400.06 लाख की बचत (₹510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमें लागू न किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - अन्य स्कीमें” - ₹616.53 लाख की बचत (₹2114.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भाग की वास्तविक गणना किए जाने के कारण हुई।

(खा) “प्रौढ़ शिक्षा - अन्य व्यय - अन्य स्कीमें - ₹101.50 लाख की बचत (₹186.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और सामग्री की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “2203” - “पालिटेक्निक - केंद्रीय पालिटेक्निक/चंडीगढ़ इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज” के अंतर्गत ₹146.73 लाख की बचत (₹869.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ₹340.23 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों का संकलन न किए जाने के कारण हुई।

(X) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹312.18 लाख की बचतें हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(V) Under Major Head “2015” – “Other Expenditure – Election for Municipalities” – saving of ₹182.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-holding of elections of Municipal Corporation, Chandigarh.

(VI) Under Major Head “2810” – “Renewable Energy for Rural Applications – Demonstration and Technology” – saving of ₹400.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹510.00 lakhs) was due to non-implementation of the schemes.

(VII) Under Major Head “2202” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Elementary Education – Other Expenditure – Other Schemes” – saving of ₹616.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2114.00 lakhs) was due to actual calculation of share under Sarv Shiksha Abhiyan.

(B) “Adult Education – Other Expenditure – Other Schemes” – saving of ₹101.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹186.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposal for purchase of material.

(VIII) Under Major Head “2203” – “Polytechnic – Central Polytechnic/Chandigarh College of Engineering and Technology” – saving of ₹146.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹869.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(IX) Under Major Head “3451” – “Secretariat – Department of Information and Technology” – saving of ₹340.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-compilation of programmes/schemes relating to Information Technology.

(X) Under four heads savings of ₹312.18 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 15 percent to 54 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2070” - “होम गार्ड - चंडीगढ़” - ₹127.24 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹806.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी दरों में संशोधन होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2801” - “पारेषण और वितरण - चंडीगढ़ में विद्युत का पारेषण और वितरण - विद्युत का वितरण” - ₹434.39 लाख का अधिक व्यय (₹9285.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹56146.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से अधिक विद्युत की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “2210” - “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय -

(क) “सामान्य अस्पताल, चंडीगढ़” - ₹669.06 लाख का अधिक व्यय (₹580.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3186.32 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान और महंगाई भत्ते और वेतन की बकाया राशि को 15% राज्य भाग की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “अन्य औषधालय” - ₹204.80 लाख का अधिक व्यय (₹125.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1361.75 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीवन रक्षक दवाइयों की खरीद और बाहरी स्रोतों से नियुक्त कर्मचारियों की मजदूरी के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “2202” -

(क) “प्रारंभिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्राथमिक विद्यालय” - ₹647.11 लाख का अधिक व्यय (₹1330.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹9337.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्यालय की वर्दी खरीदे जाने और बाहरी स्रोतों से नियुक्त कर्मचारियों की मजदूरी के कारण हुआ।

(A) Major Head “2070” - “Home Guards - Chandigarh” - excess of ₹127.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹806.00 lakhs including supplementary grant of ₹5.00 lakhs) was due to revision of rates of wages of daily wage employees.

(B) Major Head “2801” - “Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power” - excess of ₹434.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹56146.00 lakhs including supplementary grant of ₹9285.00 lakhs) was due to purchase of more power from National Thermal Power Corporation.

(C) Major Head “2210” - “Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries-

(a) “General Hospital, Chandigarh” - excess of ₹669.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3186.32 lakhs including supplementary grant of ₹580.00 lakhs) was due to payment of 15% State share to National Rural Health Mission and dearness allowance and salary arrears.

(b) “Other Dispensaries” - excess of ₹204.80 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1361.75 lakhs including supplementary grant of ₹125.00 lakhs) was due to purchase of life saving drugs and for wages of the out sourced staff.

(D) Major Head “2202” -

(a) “Elementary Education - Direction and Administration - Primary Schools” - excess of ₹647.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9337.50 lakhs including supplementary grant of ₹1330.00 lakhs) was due to purchase of school uniforms and for wages of the outsourced staff.

- (ख) “माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय-माध्यमिक विद्यालय” - ₹979.30 लाख का अधिक व्यय (₹330.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5785.87 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते और वेतन की बकाया राशि की अदायगी के लिए अतिरिक्तनिधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (ग) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - कला और विज्ञान कालेज” - ₹106.00 लाख का अधिक व्यय (₹1245.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5701.46 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिमानकों के अनुसार विभिन्न कालेजों में लैपटॉपों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।
- (ङ) मुख्य शीर्ष “3055” - “चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम - प्रचालन” - ₹298.64 लाख का अधिक व्यय (₹248.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹9950.16 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेट्रोल, तेल और स्नेहक की खपत में वृद्धि होने और दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी में संशोधन होने के कारण हुआ।
- (च) मुख्य शीर्ष “2059” - “सामान्य - उचंत - स्टॉक” - ₹336.75 लाख का अधिक व्यय (₹2065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय भंडार के लिए अधिक सामग्री की खरीद किए जाने के कारण हुआ।
- (छ) मुख्य शीर्ष “2215” - “मल जल तथा सफाई - सफाई सेवाएं - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” - ₹142.85 लाख का अधिक व्यय (₹81.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹346.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मल जल व्यवस्था और सफाई सेवाओं के रख-रखाव में वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (II) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹292.19 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 275 प्रतिशत तक था।
- (b) “Secondary Education – Government Secondary Schools- Secondary Schools” – excess of ₹979.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5785.87 lakhs including supplementary grant of ₹330.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of dearness allowance and salary arrears.
- (c) “University and Higher Education – Government Colleges and Institutes – Arts and Science Colleges” – excess of ₹106.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5701.46 lakhs including supplementary grant of ₹1245.00 lakhs) was due to purchase of laptops in various colleges as per University Grants Commission norms.
- (E) Major Head “3055” – “Chandigarh Transport Undertaking –Operation” – excess of ₹298.64 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9950.16 lakhs including supplementary grant of ₹248.00 lakhs) was due to increase in consumption of POL and revision of wages of daily wage employees.
- (F) Major Head “2059” – “General – Suspense- Stock” – excess of ₹336.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2065.00 lakhs) was due to purchase of more material for the Central Store.
- (G) Major Head “2215” – “Sewerage and Sanitation – Sanitation Services –Expenditure in U.T. without Legislature” – excess of ₹142.85 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹346.00 lakhs including supplementary grant of ₹81.00 lakhs) was due to increase in maintenance of sewerage and sanitation services.
- (II) Under five heads excess of ₹292.19 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 14 percent to 275 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (₹732.00 लाख) ₹731.89 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the amount surrendered (₹732.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹731.89 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head				
क-गृह मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	A-Ministry of Home Affairs Major Head "4055" Capital Outlay on Police			
मू.	O. 1978.00			
पु.	R. -440.84	1537.16	1537.27	+0.11
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O. 3056.00			
पु.	R. 209.47	3265.47	3265.92	+0.45
घ- विद्युत मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	D-Ministry of Power Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects			
मू.	O. 2850.00			
पु.	R. -205.00	2645.00	2644.97	-0.03

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	F-Ministry of Environment and Forests				
मुख्य शीर्ष "4406"	Major Head "4406"				
वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Forestry and Wildlife				
मू.	O.	1250.00	1744.00	1744.00	..
पु.	R.	494.00			
ज-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	J-Ministry of Health and Family Welfare				
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	3210.00	2786.44	2786.30	-0.14
पु.	R.	-423.56			
ठ-उच्चतर शिक्षा विभाग	L- Department of Higher Education				
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	2901.00	2718.50	2718.49	-0.01
पु.	R.	-182.50			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय +
Excess +
बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	N- Ministry of Youth Affairs and Sports				
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	1200.00	286.40	286.40	..
पु.	R.	- 913.60			
ध-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	S-Ministry of Road Transport and Highways				
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	435.00	537.55	537.56	+0.01
पु.	R.	102.55			
प-शहरी विकास मंत्रालय	U- Ministry of Urban Development				
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1307.00	1479.71	1479.71	..
पु.	R.	172.71			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	31927.00	32726.40	32726.30	-0.10
पु.	R.	799.40			

कुल अनुदान वास्तविक व्यय अधिक व्यय +
Total Actual Excess +
grant expenditure बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
ब-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	W- Ministry of Social Justice and Empowerment				
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	288.00			
			119.68	119.64	-0.04
पु.	R.	-168.32			
(I) ₹7.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।	(I) Provision of ₹7.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.				
(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-	(II) Under Major Head "4055" – savings occurred under the following heads:-				
(का) "राज्य पुलिस - अन्य अनुषंगी कार्य" - ₹263.14 लाख की बचत (₹1537.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और	(A) "State Police – Other Allied Works" – saving of ₹263.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1537.00 lakhs); and				
(खा) "पुलिस आवास - भवन" - ₹177.59 लाख की बचत (₹441.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।	(B) "Police Housing – Buildings" – saving of ₹177.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹441.00 lakhs).				
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निविदाओं को देर से अंतिम रूप दिए जाने/अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।	Savings under the above two heads were due to late/non-finalisation of tenders.				
(III) मुख्य शीर्ष "4801" - "पारेषण और वितरण - उच्च-स्टाक" के अंतर्गत ₹205.01 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय भंडारों के लिए सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।	(III) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution – Suspense – Stock" - saving of ₹205.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was due to less purchase of material for Central Stores.				
(IV) मुख्य शीर्ष "4210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - अन्य मदें" के अंतर्गत ₹375.92 लाख की बचत (₹1081.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना	(IV) Under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Other Items" - saving of ₹375.92 lakhs (against				

में) अस्पताल उपस्कर की खरीद के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “4202” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “सामान्य शिक्षा” -

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा - भवन” - ₹599.15 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “अन्य व्यय - भवन” - ₹219.51 लाख की बचत (₹315.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक अनुमोदन देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “खेलकूद और युवा सेवाएं - अन्य व्यय - भवन” - ₹913.60 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्राइंगें/प्रशासनिक अनुमोदन देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “4217” - “राज्य की राजधानी का विकास-अन्य व्यय - बागवानी विकास” के अंतर्गत ₹197.09 लाख की बचत (₹440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यों का देर से आबंटन किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “4235” - “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - भवन” के अंतर्गत ₹168.36 लाख की बचत (₹288.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्लॉक ‘ए’ के निर्माण संबंधी कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹256.39 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक थी।

the sanctioned provision of ₹1081.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval and proposal for purchase of hospital equipments.

(V) Under Major Head “4202” – savings occurred under the following heads:-

(A) “General Education”-

(a) “University and Higher Education – Buildings” – saving of ₹599.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs); and

(b) “Other Expenditure – Buildings” – saving of ₹219.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹315.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to late receipt of administrative approval.

(B) “Sports and Youth Services – Other Expenditure – Buildings” – saving of ₹913.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to late receipt of drawings/ administrative approval.

(VI) Under Major Head “4217” – “State Capital Development – Other Expenditure – Horticulture Development” – saving of ₹197.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹440.00 lakhs) was due to late allotment of works.

(VII) Under Major Head “4235” – “Other Social Security and Welfare Programme – Other Expenditure - Buildings” – saving of ₹168.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹288.00 lakhs) was due to non-finalisation of work for construction of Block A.

(VIII) Under four heads savings of ₹256.39 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 75 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “4059” - “अन्य भवन - निर्माण - न्याय प्रशासन - ₹228.92 लाख का अधिक व्यय (₹3001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्माण कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “4406” - “वानिकी - वन संरक्षण, विकास और पुनरुदभवन - भूमि का अधिग्रहण” - ₹494.00 लाख का अधिक व्यय (₹1250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भूस्वामियों को मुआवजे की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “4202” - “सामान्य शिक्षा” -

(क) “प्रारम्भिक शिक्षा - भवन” - ₹356.83 लाख का अधिक व्यय (₹125.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सात प्राथमिक विद्यालयों का कार्य निष्पादित किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “माध्यमिक शिक्षा - भवन” - ₹333.53 लाख का अधिक व्यय (₹825.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न विद्यालयों में भवनों और अतिरिक्त कमरों का कार्य पूरा होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “5055” - “बेड़े का अधिग्रहण - चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम” - ₹118.00 लाख का अधिक व्यय (₹245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई बसों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ड) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास” - ₹172.71 लाख का अधिक व्यय (₹1307.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी गृहों का निर्माण और उन्नयन किए जाने के कारण हुआ।

5.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “4059” - “Other Buildings - Construction - Administration of Justice” - excess of ₹228.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3001.00 lakhs) was due to completion of various works of Punjab and Haryana High Court.

(B) Major Head “4406” - “Forestry - Forest Conservation, Development and Regeneration - Acquisition of Land” - excess of ₹494.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1250.00 lakhs) was due to payment of compensation to the land owners as awarded by the Honourable High Court.

(C) Major Head “4202” - “General Education”-

(a) “Elementary Education - Buildings”- excess of ₹356.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹125.00 lakhs) was due to execution of the work of seven primary schools.

(b) “Secondary Education - Buildings” - excess of ₹333.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹825.00 lakhs) was due to completion of buildings and additional rooms in various schools.

(D) Major Head “5055” - “Acquisition of Fleet- Chandigarh Transport Undertaking” - excess of ₹118.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹245.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of new buses.

(E) Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Accommodation for Government Employees” - excess of ₹172.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1307.00 lakhs) was due to construction and up-gradation of Government Houses.

(चा) मुख्य शीर्ष “4217” - “राज्य की राजधानी का विकास”-

- (क) “भूमि - अधिग्रहण” - ₹309.58 लाख का अधिक व्यय (₹19323.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि का सीमांकन किए जाने और भूस्वामियों को मुआवजे की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) “निर्माण - अन्य स्कीमें” - ₹429.08 लाख का अधिक व्यय (₹7986.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेलवे प्राधिकरणों को राज्य के भाग की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।
- (ग) “अन्य व्यय - अन्य विकास स्कीमें” - ₹224.51 लाख का अधिक व्यय (₹4168.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुखना झील से गाद निकाले जाने और उसका विकास किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹62.27 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत था।

(F) Major Head “4217” – “State Capital Development” –

- (a) “Land – Acquisitions” – excess of ₹309.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19323.00 lakhs) was due to demarcation of land and to pay compensation to the land owners.
- (b) “Construction – Other Schemes” – excess of ₹429.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7986.00 lakhs) was due to payment of State share to Railway authorities.
- (c) “Other Expenditure – Other Development Schemes” – excess of ₹224.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4168.00 lakhs) was due to de-silting and development of Sukhna Lake.

(II) Under one head excess of ₹62.27 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.